न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 22/24 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2024/52

उनवान

1. सुनीता देवी पत्नी सतीशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पुरा पतिराम तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर हाल आबाद नवाव साहब का बाडा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट/प्रतिवादिया

बनाम

1. शकुंतला देवी पत्नी शिवकान्त शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कैथरी भवन संतर रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट/वादिया

2. यू0 बैंक आफ इण्डिया शाखा जी0टी0 रोड धौलपुर जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर।

.....रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर दि0 24.05.2024 प्र.सं. 85/23 उनवानी शकुंतला बनाम सुनीता देवी वगै0।

उपस्थित :–

1. श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव वकील अपीलांट।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–28.10.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2024 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के वादी एवं प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार सहखातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एवं पक्षकारान विवादित आराजी को सम्मिलित रूप से काश्त करते हैं। अतः सम्मिलित रूप से काश्त करने पर आये दिन पक्षकारान के मध्य फसल एवं फसल आदि में हुये खर्चे को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

24.05.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर, तहसीलदार बाडी से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.03.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही हुयी। अधीनस्थ न्यायालय ने तामील के नियम 5 नियम 15 व 17 सीपीसी की कोई पालना नहीं की गयी। सम्मन पर गलत पता अंकित है एवं तामील कुनिन्दा द्वारा किस दिनांक को तामील करायी अंकित नहीं है एवं गवाह का भी नाम पता नहीं है एवं ना ही तामील कुनन्दा की कोई स्पष्ट रिपोर्ट है। विवादित आराजी के बाबत् न्यायालय श्रीमान् एडीजे सहाब धौलपुर के न्यायालय में संविदा की यथावत पालना बाबत् अपीलाण्ट के पति द्वारा किया हुआ है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का मौका नहीं मिला, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नहीं की गयी हैं। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1995 पेज 339 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को निरस्त करते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट को विवादित आराजी के बॅटवारे से क्या आपत्ति है, अपनी बहस में कुछ स्पष्ट नहीं किया। तामील कुनन्दा ने सम्मन पर हल्फिया बयान किया है। अतः तामील समुचित मानी जावेगी। विभाजन प्रस्तावो पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी बाबत् जारी की गयी है। अपीलाण्ट विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति करने को स्वतंत्र हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील यह कहकर प्रस्तुत की गई है कि वक्त सुनवाई उन्हें अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही बाबत् कोई सूचना नही दी। उनके ऊपर नोटिस तामील नही हुआ, अपीलाधीन आदेश उनकी बैक पर पारित किया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिस, नवाव सहाब का बाडा के लिये जारी किया गया है। परन्तु तामील कुनन्दा ने अपने हल्फीया बयानो में नाना सहाब का बाडा पर पहुॅचना अंकित किया है। दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट शपथ पत्र देने को भी तैयार रहे हैं कि नाना सहाब का बाडा एवं नवाव सहाब का बाडा दोंनों पृथक–पृथक पते हैं। उक्त नोटिस पर तामील कुनन्दा द्वारा कोई स्पष्ट रिपोर्ट, सत्यापन, आदि अंकित नही की हैं। गवाही भी एक ही किसी मुकेश नाम

न्यू प्रवर्तन अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

के व्यक्ति की करायी है। परन्तु उसके पिता/पते अंकित नहीं है एंव ना ही नोटिस पर सम्बन्धित तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर मौजूद हैं। नियम व न्यायिक दृष्टान्तो के आलोक में इसे समुचित तामील नही माना जा सकता है। चूंकि अपीलाण्ट पर समुचित तामील होना नही पाया गया है। अतः उन्हें सुनवाई का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। लिहाजा न्यायहित को ध्यान में रखते हुये, हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2024 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं दावा व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम कर पुनः विधिसम्मत प्राथमिक डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.12.2024 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर